


E-mail

बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग  
अधिसूचना

संख्या:-V/ई1-102/2015-109 / श्री राम बाबु, अधीक्षक मद्य निषेध (पदस्थापन की प्रतीक्षा में), पटना, दिनांक:-  
को अगले आदेश तक अधीक्षक मद्य निषेध, औरंगाबाद के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत शीघ्र प्रभार ग्रहण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-14.01.19

ज्ञापांक:- V/ई1-102/2015-109

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई गजट कोषांग, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


  
11/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-14.01.19

ज्ञापांक:- V/ई1-102/2015-109

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले0 एवं हक0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वे0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
11/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-14.01.19

ज्ञापांक:- V/ई1-102/2015-109

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/सभी उपायुक्त मद्य निषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध/सभी अधीक्षक मद्य निषेध एवं श्री राम बाबु, अधीक्षक मद्य निषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-14.01.19

ज्ञापांक:- V/ई1-102/2015-109

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव,  
बिहार, पटना।